शाहजहाँपुर पुलिस

प्रेस नोट-सराहनीय कार्य दिनांक : 20.08.2024

पुवायाँ पुलिस द्वारा स्कूल के कमरो व तिजोरी का ताला तोडकर तिजोरी मे रखे 16400 रू0 चोरी करने वाले शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्री अशोक कुमार मीणा,पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशनुसार, श्री मनोज कुमार अवस्थी,अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व श्री पंकज पंत, क्षेत्राधिकारी पुंवायाँ के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अपराध रोकधाम व गिरफ्तारी वाँछित अभियुक्त के क्रम में थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा स्कूल के कमरो व तिजोरी का ताला तोडकर तिजोरी मे रखे 16400 रू0 चोरी करने वाले शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 20.08.2024 को वादी श्री विजय वर्मा पुत्र श्री स्व0 श्री कृष्ण वर्मा निवासी ग्राम नहिलौरा बुजुर्ग थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर प्रबन्धक (कृष्णा एकेडमी स्कूल) मो0नं0 9415510715 ने थाना पुवायाँ पर तहरीर देकर अवगत कराया कि दीपूराज पुत्र सन्तोष कुमार निवासी ग्राम मुडिया कुर्मियात थाना पुवायाँ शाह0 द्वारा रात्रि मे कमरो व तिजोरी का ताला तोडकर तिजोरी मे रखे 16,400 रू0 सोलह हजार चार सौ रूपये नगद चोरी कर लिये है। तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर थाना हाजा पर मु0अ0स0 548/2024 धारा 331(4)/305(a) बीएनएस पंजीकृत किया गया। उक्त घटना को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा गम्भीरता से लेते हुए प्रभारी निरीक्षक पुवायाँ श्री हरपाल सिंह बालियान को तत्काल अभियुक्त की गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये जिस पर प्रभारी निरीक्षक के निर्देशन मे अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी तथा घटना के सम्बन्ध मे ठोस साक्ष्य संकलित किये गये।

आज दिनांक 20.08.2024 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मुखिबर खास ने आकर बताया कि आप जिस व्यक्ति तलाश कर रहे है वह व्यक्ति ग्राम जलालपुर से मझिगंवा गाँव से आगे बंडा पुवायां रोड की तरफ आने वाले कच्चे रास्ते से पैदल पैदल आ रहा है आप जल्दी करे तो माल सहित पकड़े जा सकते हैं। उक्त सूचना पर थाना पुवायां पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड लिया पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम दीपूराज पुत्र संतोष कुमार उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम मुडिया कुर्मियात थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर बताया। अभियुक्त के पास से बरामद माल को सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर तैयार किये गये। दोनो व्यक्तियो को इनके जुर्म धारा 331(4)/305(5)/317(2) BNS से अवगत कराकर समय करीब 14.19 को बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अभियुक्त उपरोक्त को अग्रिम विधिक कार्यवाही के पश्चात मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. दीपूराज पुत्र संतोष कुमार उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम मुडिया कुर्मियात थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर।

पंजीकृत अभियोगः –

1. मु0अ0सं0 548/24 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस

पूछताछ विवरण:-

अभियुक्त से कृष्णा एकडेमी स्कूल जुझारपुर चोरी के सम्बन्ध मे पूछताछ की गयी तो बताया कि 20-25 दिन पूर्व मेरे द्वारा ही स्कूल का ताला तोडकर नगद रुपये चुरा लिये थे और दोबारा बीती रात को को ही चोरी के उद्देश्य से ही स्कूल मे घुसा था। मेरी हडबडाहट से स्कूल के चौकीदार ने मुझे देख लिया और पहचान लिया था और मैं वहाँ से भाग गया था। पहले की गयी चोरी के रुपये मे से ही जो मेरे पास मिले है और शेष रुपये शराब पीने व त्यौहार आदि मे खर्च हो गये हे। और अपने जुर्म की माफी मागने लगा।

बरामदगी का विवरण –

1. 1420/- रुपये

गिरफ्तारी टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार राय थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 सचिन कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
3. हे0का0 346 राजेश कुमार पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
4. का0 1803 विपिन कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर